शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद्
लोक शिक्षण संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़
दूरभाष-0771-2511183/4915961 ई-मेल-ctspbord@gmail.com

क्रमांक/शी.मु.क.कौ.प.प./परिपत्र (cirular)/ 62 अटल नगर, दिनांक / /2026 25-06-2026

।। परिपत्र।।

छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित स्कुल शिक्षा विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर क्रमांक 316 दिनांक 27 नवम्बर 2002 एवं अधिक्रमित प्राधिकार स्कुल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक 375 दिनांक 3 अगस्त 2023 अनुसार अधिकृत शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, द्वारा शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा आयोजन एवं प्रमाण पत्र, शासनादेश व नियमों के परिपालन में उपयोगिता/मान्यता/अनिवार्य अर्हता आदि संबंधी निम्नानुसार परिपत्र जारी करता है-

1.शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा आयोजन हेतु राज्य के एक मात्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान है। जो कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से परीक्षा अयोजित कर उत्तीर्ण अभ्यार्थियों का प्रमाण पत्र जारी करता है, प्रमाण पत्र परिणाम जारी दिनांक से मान्य है एवम परिषद द्वारा अन्य किसी संस्था को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया है|

2. परिषद् द्वारा उपरोक्त उल्लेखित छत्तीसगढ़ राजपत्र प्राधिकार के क्रम में वर्ष 2002 से आज पर्यन्त राज्य स्तरीय शीघ्रलेखन एवं विभिन्न गतिमान से मुद्रलेखन परीक्षा आयोजित करता है।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर अधिसूचना नवा रायपुर दिनांक 19.06.2026 अनुसार शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र निम्नानुसार पद के अनिवार्य अर्हता/योग्यता पूर्ण करता है-

I.**शीघ्रलेखक हिन्दी-** हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र 100 शब्द प्रति मिनट की गति से एवं हिन्दी मुद्रलेखन 10000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गतिमान से|

II.**शीघ्रलेखक अंग्रेजी-** अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र 100 शब्द प्रति मिनट की गति से एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन 10000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गतिमान से|

III.**द्विभाषी शीघ्रलेखक-** हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा प्रमाण पत्र 100 शब्द प्रति मिनट की गति से एवं हिन्दी व अंग्रेजी मुद्रलेखन 10000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गतिमान से|

निरंतर .02

IV.डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर- कम्प्युटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्य से हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन 8000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गतिमान से।

V.स्टेनो टायपिस्ट- कम्प्युटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्य से हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन 5000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गतिमान से।

VI.सहायक ग्रेड-03/कनिष्ठ सचिवालय सहायक/कनिष्ठ सहायक/पंजीयन लिपिक- कम्प्युटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्य से हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन 5000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा के गतिमान से।

3.छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (नियम शाखा) मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर क्रमांक एफ 7-1/2019/1-3 नवा रायपुर, दिनांक 15.04.2024 अनुसार अनुकम्पा नियुक्त सहायक ग्रेड-03 को नियमित होने दो वर्ष की अवधि में एवं नियमानुसार प्रयोजन पर नियोक्ता से दो वर्ष की अतिरिक्त समयावधि प्राप्त कर कुल चार वर्ष के भीतर पद की अनिवार्य अर्हता हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा 5000 की-डिप्रेशन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है के अभाव में संबंधित कर्मचारी नियमित वेतनवृद्धि, पदोन्नति, समयमान वेतन आदि हितलाभ से वंचित रहेंगे।

4. उपरोक्त अनिवार्य अर्हता पूर्ण करने अनुकम्पा नियुक्त विधवा-विधुर को शासन द्वारा छूट प्राप्त है।

5. अनुकम्पा नियुक्त सहायक ग्रेड-03 को 45 वर्ष पूर्ण होने पर पद के अनिवार्य अर्हता 5000 की-डिप्रेशन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने छूट प्राप्त है।

6. वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 170/वि/नि/चार/2010 दिनांक 24.04.2010 द्वारा सहमति प्राप्त कर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 10-1/2010/1-3 रायपुर, दिनांक 04/05/2010 अनुसार ऐसे सहायक ग्रेड-03 जिन्होने नियुक्ति उपरान्त विलम्ब से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा जिन्हें नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने छूट प्रदान किया गया है(अनुकम्पा नियुक्त विधवा-विधुर, 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत सहायक ग्रेड-03) को केवल समयमान वेतन स्वीकृत करने की दृष्टि से उनकी सेवा गणना नियुक्ति दिनांक से की जायेगी। इस प्रकार सेवा की गणना तथा यह लाभ अन्य किसी प्रयोजन वरिष्ठता/पदोन्नति आदि के लिये मान्य नही होगा, उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने तक छूट प्राप्त कर्मचारी पदोन्नति से वंचित रहेगे,उत्तीर्ण उपरांत समयमान वेतन एवं नियमानुसार सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नति की पात्रता होगी |

7.छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग एवं योजना विभाग मंचालय, महानदी भवन, नया रायपुर क्रमांक 145/एल-2015-71-0377/वि.नि.चार नया रायपुर दिनांक 14/08/2015 अनुसार राज्य शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 107/एफ-1005278/वित्त नियम/चार/2013, दिनांक 03 अप्रेल 2013 के परिपालन में कण्डिका-2 के तहत् छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक

निरंतर .03

वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की-डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते है उनहें 500/-प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी, जिसके लिए कर्मचारी को परीक्षा में शामिल होने हेतु अधिकतम तीन अवसर प्रदान किया जायेगा, उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर प्रोस्साहन भत्ता हेतु शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-3 मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 862/37/2023/1-3 नवा रायपुर दिनांक 04/05/2023 अनुसार अधिकृत किया गया है,इच्छुक कर्मचारी विभाग से अनुमति प्राप्त कर परिषद द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकता है, परिषद द्वारा आयोजित मुख्य एवं विभागीय परीक्षा की पद्धति, परीक्षण/निरिक्षण सामान होने से मुख्य परीक्षा प्रमाण पत्र उक्त पात्रता हेतु मान्य होगा।

उपरोक्त बिन्दू क्रमांक 01 से 07 शासन द्वारा जारी राजपत्र एवं आदेश/निर्देश के क्रम में आज निष्पादन तिथि तक प्रभावशील है।

Digitally signed by
RITURAJ RAGHUVANSHI
Date: 24-06-2026

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ0 क्रमांक/शी.मु.क.कौ.प.प./परिपत्र (cirular)/ 63 अटल नगर, दिनांक / /2026 [25-06-2026]

1.माननीय राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ लोक भवन, रायपुर
2.प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3.सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4.महालेखाकार,छत्तीसगढ़
5.सचिव स्कुल शिक्षा छत्तीसगढ़
6.सचिव,छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर
7.सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर
8.परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर
9.संचालक, जन संपर्क संचालनालय, नवा रायपुर
9.अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर
10.समस्त विभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़
11.समस्त कलेक्टर,छत्तीसगढ़
12.राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव/उपसंचालक
शी.म.क.कौ.प.परिषद्
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

"[illegible] पोस्ट के अन्तर्गत डाक [illegible] पूर्व भुगतान (बिना डाक [illegible] प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक [illegible] छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. [illegible] दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ [illegible] [illegible] 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 नवम्बर 2002—अग्रहायण 6, शक 1924

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ/10 17/20/2001.—विभिन्न कार्यालयों के लिये शीघ्रलेखन एवं स्टेनो टायपिस्टों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं छात्रों के लिए जो उच्च शिक्षा का भार वहन नहीं कर सकते हैं तथा जो शासकीय कार्यालयों में स्थानीय निकायों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शीघ्रलेखक एवं स्टेनो टायपिस्ट [illegible] में कार्य के इच्छुक है, के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शीघ्रलेखन, मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् का गठन किया जाता है. उस हेतु अंग्रेजी तथा हिन्दी स्टेनोग्राफी तथा टंकण के नियम निम्नानुसार है :—

1. परिषद् का संविधान :— परिषद् हेतु समिति निम्नानुसार होगी :—

1.	संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़	अध्यक्ष
2	छ. ग. मंत्रालय के स्थापना अधिकारी	सदस्य
3	प्रशिक्षण अधिकारी (आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान ELTI)	सदस्य
4.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित हिन्दी/अंग्रेजी के दो शीघ्रलेखक जो शास. कार्यालयों में कार्यरत हों (मंत्रालय को छोड़कर) तथा जिनका कार्यकाल सामान्यतः एक वर्ष का होगा.	सदस्य
5.	उप-संचालक/सहायक संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य-सचिव

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त 2023 — श्रावण 12, शक 1945

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2023

अधिसूचना

क्रमांक F–15–06/2022/20–3. – छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रं. एफ/10-17/2001 रायपुर, दिनांक 27/11/2002 अधिकमित करते हुए, शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद्, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ का गठन करता है तथा परिषद् के गठन एवं कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

नियम

1. **परिषद् के उद्देश्य.**– विभिन्न शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामर/सहायक प्रोग्रामर/सहायक ग्रेड–तीन तथा शीघ्रलेखक/स्टेनो टायपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए परिषद् द्वारा आवश्यक कौशल एवं कम्प्यूटर पारंगतता के मूल्यांकन हेतु हिन्दी/अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग कौशल परीक्षा एवं हिन्दी/अंग्रेजी स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं आयोजित करेगा तथा पात्र परीक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र प्रदाय करेगा।

2. **परिषद् का गठन.**–परिषद् हेतु पदेन एवं नामांकित सदस्य निम्नानुसार होंगे:–

1.	आयुक्त/संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़	–अध्यक्ष
2.	छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, के स्थापना अधिकारी	–सदस्य
3	प्रशिक्षण अधिकारी (आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान–ईएलटीआई) भाषा संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	–सदस्य
4.	अध्यक्ष द्वारा नामांकित हिन्दी/अंग्रेजी के दो शीघ्रलेखक, जो शासकीय कार्यालयों में कार्यरत हों (छत्तीसगढ़ मंत्रालय को छोड़कर),जिनका कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा	–सदस्य
5.	उप–संचालक/सहायक संचालक/अधीक्षक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, रायपुर (विभागीय अधीक्षक संवर्ग से)	–सदस्य–सचिव
6.	सहायक अधीक्षक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	–सहायक सचिव

Scanned with OKEN Scanner

(1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में आनलाईन जमा किया जायेगा, जो सभी दृष्टि से पूर्ण हो तथा निर्धारित शुल्क साथ में संलग्न करना होगा। ऑनलाईन जमा किये गये आवेदन पत्र की एक प्रति, संबंधित परीक्षार्थी अपने पास सुरक्षित रखेगा।

(2) भारत गणराज्य के राज्य क्षेत्र से हाईस्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को, उपरोक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। परीक्षार्थी को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 16 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है।

5. **परीक्षा पद्धति:–**

(1) **हिन्दी / अंग्रेजी शीघ्रलेखन:–**

(क) परीक्षार्थी को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 500 शब्दों का डिक्टेशन 5 मिनट में दिया जाएगा। परीक्षार्थी को डिक्टेटेड आलेख कम्प्यूटर से टाईप करने के पूर्व 5 मिनिट का समय पढ़ने के लिए दिया जायेगा। इस अवधि में वे आलेख का अध्ययन करेंगे तथा कम्प्यूटर सिस्टम का परीक्षण कर सकेंगे। डिक्टेटेड आलेख को कम्प्यूटर सिस्टम से 40 मिनट में कम्प्यूटर पर टाईपिंग करना होगा। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आलेख मान्य नहीं होगा। डिक्टेटर द्वारा मूल आलेख को डिक्टेट करने के पूर्व 100 शब्द प्रति मिनट की गति से एक मिनट का ट्रायल पेसेज भी दिया जायेगा।

(ख) परीक्षा हेतु परिषद् द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को कम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा तथा परीक्षार्थी को पेंसिल लाना होगा। आलेख नोट पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर प्रणाली को उद्धृत करना अनिवार्य होगा।

(2) हिन्दी / अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग कौशल :–कम्प्यूटर से हिन्दी / अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग कौशल परीक्षाओं में 5000, 8000 एवं 10,000 key डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से 15 मिनट के प्रश्न पत्र की टायपिंग कौशल परीक्षा ली जायेगी ।

(क) 5000 **key डिप्रेशन:** 83.33 key डिप्रेशन प्रतिमिनट की गति से 15 मिनट में 1250 key डिप्रेशन, प्रश्न पत्र लगभग 1668 key डिप्रेशन का होगा, इसमें से 1250 key डिप्रेशन (75%) 15 मिनट में सही टंकित होने पर ही परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

(ख) 8000 **key डिप्रेशन** 133.3 key डिप्रेशन प्रतिमिनट की गति से 15 मिनट में 2000 key डिप्रेशन प्रश्न पत्र लगभग 2666 key डिप्रेशन का होगा, इसमें से 2000 key डिप्रेशन (75%) 15 मिनट में सही टंकित होने पर ही परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

(ग) 10000 **key डिप्रेशन** 166.6 key डिप्रेशन प्रतिमिनट की गति से 15 मिनट में 2500 key डिप्रेशन प्रश्न पत्र लगभग 3333 key डिप्रेशन का होगा, इसमें से 2500 key डिप्रेशन (75%) 15 मिनट में सही टंकित होने पर ही परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

उपरोक्त परीक्षाओं हेतु हिन्दी / अंग्रेजी की कम्प्यूटर टायपिंग कौशल परीक्षा के लिए Krutidev 010, Devlys 010 की–बोर्ड ले आऊट, यूनिकोड (Unicode Font) फोंट या समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार कोई अन्य उपयुक्त फॉन्ट का चयन किया जायेगा, जो अंतिम होगा।

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 19-06-2026

क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026 (क्रमांक 5 सन् 2026) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य शासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में **सीधी भर्ती** के माध्यम से भरे जाने वाले निम्नलिखित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हैं, अर्थात्:-

समूह-1, तृतीय श्रेणी (अभियांत्रिकी सेवा)

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	उप अभियंता (सिविल)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकायवार पाठ्यक्रम परीक्षा अयोजित होगी।
2.	उप अभियंता (विद्युत)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
3.	उप अभियंता (यांत्रिकी)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मेकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
4.	उप अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	
5.	उप अभियंता (कम्प्यूटर साईंस/आई.टी.)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री/एम.ई. एम.टेक/एम.सी.ए।	
6.	उप अभियंता (माइनिंग)	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से माइनिंग इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा बी.ई./बी.टेक डिग्री।	

		शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से - **(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए-** हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। **(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए-** अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। **(ग) द्विभाषी- शीघ्रलेखक के लिए-** ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) मुद्रलेखन गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	
2.	डाटा एंट्री ऑपरेटर/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा। (3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र।	
3.	स्टेनो टायपिस्ट	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा।	

7.	उप अंकेक्षक, अंकेक्षक, कनिष्ठ लेखापाल, लेखापाल		
8.	सहायक ग्रंथपाल, ग्रंथपाल		
9.	अनुवादक		
10.	निरीक्षक विधिक मापविज्ञान		
11.	तकनीकी सहायक खाद्य, कनिष्ठ तकनीकी सहायक खाद्य		

समूह-3, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (शैक्षिक सेवा)

उप समूह-01

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक शिक्षक	मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	अनिवार्य (कॉमन) परीक्षा आयोजित की जाएगी।

उप समूह-02

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शिक्षक	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय सेवा भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातक एवं अन्य अर्हताएं।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
2.	व्याख्याता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, विभागीय सेवा भर्ती नियम में यथानिर्धारित विषय में स्नातकोत्तर एवं अन्य अर्हताएं।	

6.	फार्मासिस्ट	(1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा, (2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।

समूह-6, तृतीय श्रेणी (हायर सेकेण्डरी स्तर)

उप समूह-01

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक मानचित्रकार	वास्तुकला में डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकला (ड्राफ्टसमेनशीप) में प्रमाण पत्र। अथवा सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाण-पत्र। अथवा इंडस्ट्रीयल काउंसिल ऑफ वोकेशल ट्रेनिंग (3 वर्षीय) प्रमाण-पत्र।	भाग-अ अनिवार्य (कॉमन) एवं भाग-ब संकाय विशिष्ट।
2.	अनुरेखक	ड्राईंग को एक विषय के रुप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) या उसके समकक्ष किसी परीक्षा का प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था/बोर्ड का प्रमाण पत्र। अथवा छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाणपत्र। अथवा सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र।	
3.	हैण्डपंप तकनीशियन	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण तथा विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अन्य अर्हताएं।	
4.	इलेक्ट्रिशियन		
5.	फिटर		
6.	वेल्डर		
7.	टर्नर		
8.	एयर कम्प्रेशन चालक		
9.	मेकेनिक (वि.यां.)		

2.	भृत्य, चौकीदार, तुलावटी, चैनमेन, प्रोसेस सर्वर, स्वीपर, माली (गार्डनर), केयर टेकर, हमाल, वार्ड बॉय, वार्ड आया, रसोईया/ अर्दली, हेल्पर, एवं अन्य समकक्ष पद	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण।	
3.	बुक लिफ्टर, बुक अटेण्डेण्ट, बुक बाईण्डर, बुक असिस्टेंट एवं अन्य समकक्ष पद	मान्यता प्राप्त मण्डल से हाई स्कूल (10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण एवं विभागीय भर्ती नियम में निर्धारित अनुभव/अन्य अर्हताएं।	

2/ उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ विभागीय सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित अनुसार अनुभव, प्रशिक्षण, कौशल/प्रायोगिक परीक्षा एवं अन्य अर्हताएं धारित करने के उपरांत ही अभ्यर्थी पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह होंगे। प्रशासकीय विभागों से मांग-पत्र प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिसूचित पदों **एवं अन्य समकक्ष पदों** की पूर्ति हेतु कॉमन परीक्षा व संकाय विशिष्ट पदों के लिए पदवार संकाय विशिष्ट पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित कर सकेंगे।

3/ इस अधिसूचना के जारी होने के फलस्वरूप उक्त पदों की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, प्रशासकीय विभागों के भर्ती नियम में स्वमेव संशोधित माने जाएंगे तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2008/1-3, दिनांक 01.02.2013 एवं दिनांक 03.02.2022 तथा परिपत्र क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3, दिनांक 24.12.2025 एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

4/ पदों के समूहों का वर्गीकरण केवल शैक्षणिक अर्हता के दृष्टि से किया गया है, इसका वेतनमान से कोई संबंध नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
RAJAT KUMAR
Date: 19-06-2026
14:05:07
(रजत कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक RULE/297/2025-GAD-3 नवा रायपुर, दिनांक 19-06-2026

प्रतिलिपिः-

1. मा. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, लोक भवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर

शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद
लोक शिक्षण संचालनालय
इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़
फैक्स नं. 0771-242521 ईमेल– cg.dpi.dir@gmail.com

क्र./शी.मु.क.कौ.प./वि.कौ.प./49/2024/274 नवा रायपुर दिनॉक 24/09/2024

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(छ0ग0)

विषयः– लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के विभागीय कौशल परीक्षा आयोजित करने के संबंध मे।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–3) मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 862/37/2023/1–3 नवा रायपुर दिनॉक 04/05/2023 के द्वारा शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 को प्रदेश में अनुकम्पा नियुक्त शास0 सेवक सहायक ग्रेड–3 कर्मचारियों को कौशल परीक्षा (5000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा) के मान से "विभागीय कौशल परीक्षा" आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

शासनादेश के अनुक्रम में विभागीय कौशल परीक्षा आयोजन करने एवं इसके निर्णय हेतु जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत नही है, बल्कि राज्य शासन द्वारा इसके लिये शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद को अधिकृत किया गया है। विभागीय कौशल परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सूची उचित माध्यम से परिषद कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी कर्मचारियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु अधिकतम तीन अवसर प्रदान किये जायेंगे।

सचिव/उप संचालक
शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल
परीक्षा परिषद
लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
<u>महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर</u>

क्रमांक एफ 7–1/2019/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 15-4.24

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषयः– **अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश–2013 एवं उसमें समय–समय पर किए संशोधनों का समावेश करते हुए निर्देशों का अद्यतन संकलन।**

संदर्भ :– इस विभाग का मूल परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 14.06.2013।

––00––

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में संदर्भित परिपत्र दिनांक 14.06.2013 द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं। तत्पश्चात समय–समय पर शासन द्वारा उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अन्य पूरक निर्देश/संशोधन भी जारी किए गए हैं। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के समुचित परीक्षण एवं निराकरण की दृष्टि से अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश–2013 में दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में हुए समस्त संशोधनों को शामिल करते हुए अद्यतन एकजाई संकलन कार्यालयीन उपयोग हेतु संलग्न है।

2/ शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में **निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:–**

2.1 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 4–1/2014/1–3, दिनांक 03.06.2015 द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना के संबंध में नीति–निर्देश जारी की गई है। उक्त निर्देश की कंडिका 3.1 अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावशील है।

2.2 शासन के ध्यान में यह बात आई है कि दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा दिवंगत शसकीय सेवक के आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप <u>**एक माह की अवधि में**</u> उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे संबंधित आवेदक को समय पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश की कंडिका 15(1) का पालन सुनिश्चित हो।

क्रमशः 2

2.3 निर्देश की कंडिका 15(8) में यह प्रावधान है कि यदि दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा पत्नी द्वारा स्वयं के स्थान पर परिवार के अवयस्क सदस्य को वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग की जाए, तो नियोक्ता द्वारा उनसे अंतरिम आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा।

उक्त निर्देश बिन्दु का आशय यह है कि दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति नहीं लेना चाहती हो **और परिवार में कोई अन्य वयस्क पात्र सदस्य न हो** तो, उक्त स्थिति में अवयस्क सदस्य को उसके वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। दिवंगत शासकीय सेवक की पत्नी से प्राप्त अंतरिम आवेदन को कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखे एवं उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायें। अवयस्क सदस्य के वयस्क होने पर तत्काल पात्रतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही समय–सीमा के भीतर की जावे।

2.4 विभागीय परिपत्र दिनांक 07.03.2024 द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश–2013 की कंडिका 15(11) में संशोधन करते हुए नवीन बिन्दु प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके तहत अब निर्देश बिन्दु 15(10) के तहत जिला कलेक्टर को प्रकरण प्राप्त होने पर, उनके अधीनस्थ कार्यालयों में पद रिक्त न होने की स्थिति में अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण अपने संभागायुक्त को भेजेंगे। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, आगामी कार्यवाही के लिए संबंधित जिला कलेक्टर को भेजेंगे।

अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद/श्रेणी पर नियुक्ति दिया जाना आवश्यक नहीं है। संभागीय आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रकरण प्राप्त होने पर, उनके अधीनस्थ कार्यालयों में निर्धारित सीमा के भीतर तृतीय श्रेणी का पद रिक्त न हों, तो उक्त स्थिति में आवेदक को चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही की जावे। इस हेतु आदेश जारी करते हुए स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर, अनुकम्पा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा तथा प्रकरण निराकृत माने जायेंगे। उक्त प्रकार के प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग को अभिमत हेतु न भेजें जाये।

2.5 अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश–2013 के बिन्दु क्र. 7(1) में तृतीय श्रेणी अंतर्गत "शिक्षाकर्मी" पद का उल्लेख है। चूंकि वर्तमान में शिक्षाकर्मी पद भर्ती हेतु प्रचलन में नहीं है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक आर 32–2018/20–दो, दिनांक 07.08.2018 के अनुरूप "सहायक शिक्षक" के पद हेतु उनके भर्ती नियम में वांछित निर्धारित अर्हता (शिक्षाशास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण) रखने वाले आवेदकों को सहायक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है। किन्तु उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

क्रमशः 3

2.6 *निर्देश के बिन्दु क्र. 15(12) अनुसार जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ हो, उसके आश्रित को पहले अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, अतः नियुक्ति हेतु आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर, अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय/जिला कलेक्टर कार्यालय/संभागीय आयुक्त कार्यालय में संधारित की जाएगी, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु की तिथि के क्रमानुसार होगी।*

2.7 दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य (चाहे वह अविवाहित हो अथवा विवाहित) शासकीय सेवा में है, तो निर्देश के बिन्दु क्र.–6 के परंतुक 6(अ) अनुसार परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 30.08.2016 में आश्रित सदस्यों के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है।

2.8 निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण अथवा स्वायत्त संस्थाओं के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित सदस्यों को शासकीय विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, तथापि उनके प्रशासकीय विभाग के अधीनस्थ निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण अथवा स्वायत्त संस्थाओं में ही अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नियमानुसार होगी।

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, जिससे अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण समयावधि में हो सकें तथा अनावश्यक विलम्ब न हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(मुकेश कुमार बंसल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 7–1/2019/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 15.4.24

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
16. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण शाखा), मंत्रालय की ओर मान्यता प्राप्त संघो को एक प्रति वितरित करने हेतु।
17. उप संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, नवा रायपुर अटल नगर।
18. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालयीन उपयोग के लिये

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश–2013, दिनांक 14.06.2013 एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों तथा जारी परिपत्रों का एकजाई संकलन

(31 मार्च, 2024 तक यथासंशोधित)

अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश, 2013
एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों/परिपत्रों की सूची

स.क्र.	जारी परिपत्र कमांक व दिनांक	विषय
1.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 14.06.2013	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013
2.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 31.12.2013	लापता शासकीय सेवक के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति
3.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 10.02.2014	लंबित प्रकरणों का तत्परतापूर्वक निराकरण के संबंध में
4.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 20.05.2014	स्पष्टीकरण – 14.06.13 के बाद के प्रकरण में लागू
5.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 13.10.2015	10 प्रतिशत शिथिलीकरण के संबंध में। तत्परतापूर्वक निराकरण हेतु
6.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 22.03.2016	अविवाहित शब्द का लोप किया गया
7.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 30.04.2016	पुत्रवधु शब्द जोड़ा गया
8.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 07.06.2016	दिवंगत के आश्रित से वैध वसूली करने के संबंध में
9.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 29.08.2016	कंडिका 6 (अ) यदि परिवार में पूर्व से कोई शासकीय सेवक है तो अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं
10.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 30.08.2016	आश्रित सदस्यों के बारे में स्पष्टीकरण
11.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 13.10.2017	कंडिका 10(1) के प्रावधानों में चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु शैक्षणिक अर्हता में छूट का अधिकार विभागाध्यक्ष को। अविवाहित शासकीय सेवक के माता पिता भाई बहन भी शामिल
12.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 01.08.2018	10 प्रतिशत शिथिलीकरण
13.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 09.08.2018	10 प्रतिशत शिथिलीकरण के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक के पदपर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी परिपत्र प्रसारित
14.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 30.07.2020	कंडिका 6 में संशोधन। अविवाहित शासकीय सेवक के मामले में भाई/बहन के वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अंतरिम आवेदन माता–पिता से प्राप्त किया जाना
15.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 22.05.2021	10 प्रतिशत शिथिलीकरण
16.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 22.04.2022	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेश जो अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश के विपरीत है, के मामले में अपील/एसएलपी दायर किये जाने के संबंध में
17.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 01.12.2023	बिन्दु 13(3) में प्रावधानित विकल्प के आधार पर, के संबंध में स्पष्टीकरण
18.	क्र. एफ 7–1/2012/ 1–3, दिनांक 07.03.2024	अनुकम्पा नियुक्ति निर्देश के बिन्दु 15(11) में संशोधन/नवीन बिन्दु प्रतिस्थापन

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश–2013

(31 मार्च, 2024 तक यथासंशोधित)

नोटः–सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 14.06.2013 जारी किया गया है।

मूल निर्देश दिनांक 14.06.2013 एवं उसमें समय–समय हुए संशोधनों (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में) का समावेश करते हुए, एकजाई संकलन कार्यालयीन उपयोग हेतु जारी किया जा रहा है।

----00----

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक
यथासंशोधित

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–1 / 2012 / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 14 / 06 / 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़।

विषयः– **सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत् एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013।**

संदर्भः– इस विभाग का परिपत्र कमांक एफ 7–4 / 2002 / 1–3, दिनांक 10.6.2003 एवं समय–समय पर जारी पूरक निर्देश संबंधी परिपत्र दिनांक 23.7.2003, 04.08.2003, 17.2.2004, 09.07.2004, 06.04.2005, 20.09.2005, 19.12.2005, 02.02.2006, 04.11.2006, 26.12.2006, 05.01.2007, 27.06.2007, 06.07.2007, 21.09.2007, 19.11.2007, 22.11.2007, 12.02.2008, 24.04.2008, 23.09.2008, 31.01.2009, 27.05.2009, 29.06.2009, 02.07.2009, 19.11.2009, 27.03.2010, 09.06.2010, 07.03.2011, 08.04.2011 एवं दिनांक 19.10.2011.

––00––

सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 10.06.2003 द्वारा निर्देश एवं तत्पश्चात् समय–समय पर अन्य पूरक निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त संदर्भित समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए, अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में एकजाई पुनरीक्षित निर्देश निम्नानुसार जारी करता है:–

– अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में निर्देश –

1. **निर्देशों की प्रभावशीलताः–** ये निर्देश इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावशील होंगे ।

2. **निर्देशों का विस्तार और उनका लागू होनाः–** ये निर्देश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त किए गए समस्त व्यक्तियों को लागू होंगे।

टीप– परिपत्र क्रमांक एफ 7–1 / 2012 / 1–3, दिनांक 20.05.2014 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश जारी होने की तिथि से लागू किया गया है। दिनांक 14.06.2013 के पूर्व के लंबित अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों में तत्समय लागू परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः 2

3. **दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य:**— दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य ऐसे नियमित शासकीय सेवक से है, जो नियमित शासकीय सेवक के रूप से कार्यरत रहा हो अथवा आकस्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना का नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो एवं सेवाकाल के दौरान जिसका असामयिक निधन/आत्महत्या द्वारा निधन हो गया हो।

4. **अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी:**— अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होगा, जो सामान्य परिस्थितियों में यथास्थिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम हो।

5. **अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीद्वार:**— दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के निम्नलिखित वयस्क सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नीचे दर्शित क्रमानुसार अर्थात् (क) के अस्वीकार करने पर या पात्र न होने पर (ख) को एवं उसके पश्चात् इसी अनुक्रम में आगे (ग), (घ) एवं (ड.) की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु क्रमशः विचार किया जायेगा:—

(क) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा/विधुर,
(ख) पुत्र/दत्तक पुत्र,
(ग) *पुत्री/*दत्तक पुत्री,
(घ) आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित दत्तक विधवा पुत्री,
(ड.) आश्रित तलाकशुदा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा दत्तक पुत्री,
(च) **पुत्रवधु।

6. **अविवाहित शासकीय सेवक का निधन होने पर अनुकम्पा नियुक्ति:**— ऐसे शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर, जो अविवाहित है (अथवा विधुर है और उसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) तो ऐसे दिवंगत शासकीय सेवक के (माता/पिता की अनुशंसा पर) ***भाई/बहन को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

****परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

6(अ) दिवंगत विवाहित शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

***** **स्पष्टीकरण**— दिवंगत विवाहित एवं अविवाहित शासकीय सेवक के परिवार के आश्रित सदस्य में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:—

(अ) **विवाहित शासकीय सेवक के मामले में**— आश्रित माता, पिता, विधवा पत्नी/विधुर पति, पुत्र एवं पुत्री (इनमें दत्तक पुत्र/पुत्री, विधवा/तलाकशुदा पुत्री शामिल है) तथा पुत्रवधु।

(ब) **अविवाहित शासकीय सेवक (अथवा विधुर जिसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है) के मामले में**— आश्रित माता, पिता, भाई एवं बहन।

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 22.03.2016 द्वारा शब्द "अविवाहित" विलोपित ।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 30.04.2016 द्वारा शब्द "पुत्र वधु" जोड़ा गया।

*** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 22.03.2016 द्वारा शब्द "भाई/अविवाहित बहन" के स्थान पर शब्द "भाई/बहन" प्रतिस्थापित किया गया।

**** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा उक्त कंडिका 6 में परन्तुक एवं कंडिका 6(अ) जोड़ा गया।

*****परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 30.08.2016 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जारी किया गया।

क्रमशः 3

7. अनुकम्पा नियुक्ति के पदः–

(1) किसी भी मामले में अनुकम्पा नियुक्ति केवल तृतीय श्रेणी के सीधी भरती के निम्नतम नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध ही दी जाएगी, यथा– सहायक ग्रेड–3, शिक्षाकर्मी, वार्ड ब्वाय, वनरक्षक, पटवारी, पंजीयक लिपिक आदि तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में भृत्य अथवा उसके समकक्षीय पद। परन्तु, ऐसे कार्यपालिक पदों पर जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पश्चात् किए जाने की व्यवस्था है, अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

(2) कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान के पदों पर नियमित रूप से कार्यरत शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर नियुक्ति संबंधित स्थापना (कार्यभारित एवं आकस्किता वेतनमान) में उक्तानुसार पदों पर की जा सकेगी। खिलाड़ी कोटे के आरक्षित रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(3) चतुर्थ श्रेणी के दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

8. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की गणना एवं पदों का सीमा बंधनः–

(1) अनुकम्पा नियुक्ति सीधी भरती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं की जाएगी।

(2) तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत का सीमा बंधन इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से केवल एक बार के लिए 1 वर्ष के लिए शिथिल रहेगा।

(3) अनुकम्पा नियुक्ति के उम्मीद्वारों की नियुक्ति तथा आकस्मिकता निधि/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ रूप से एवं संविदा पर नहीं की जाएगी।

(4) चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन (सींलिग) नहीं होगा।

9. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु भरती प्रकिया में छूटः–

(1) रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भरती की नियमित पद्धति से छूट रहेगी।
(2) सीधी भरती पर लागू प्रतिबंध से छूट रहेगी।

10. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता में छूट/शिथिलीकरण :–

(1) चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विधवा/आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा पुत्री एवं *विधवा पुत्रवधु को नियमों में पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट दी जाएगी ।

****स्पष्टीकरण–** निर्देश कमांक 10(1) में अविवाहित शासकीय (अथवा विधुर जिसके पुत्र/पुत्री नहीं हैं) के आश्रित माता, पिता, भाई एवं बहन भी शामिल माने जाएंगे। तद्नुसार उन्हें भी चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट प्रदान की जाएगी।

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा शब्द "विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 13.10.2017 द्वारा उक्त स्पष्टीकरण जोड़ा गया।

क्रमशः 4

(2) विधवा एवं विधुर को सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने पर उसे उक्त पद पर नियुक्ति हेतु विभागीय भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी, किन्तु उसे अन्य अर्हताओं जैसे:– डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र एवं कम्प्यूटर में 5000 की– डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से हिन्दी टाईपिंग से छूट रहेगी।

(3) विधवा एवं विधुर के अलावा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु उसे उक्त पद हेतु विभागीय भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। उसे अन्य अर्हताओं जैसे–डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र से छूट प्राप्त होगी, परन्तु कम्प्यूटर में 5000 की– डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति से हिन्दी टाईपिंग संबंधी कौशल परीक्षा दो वर्ष की अवधि में उत्तीर्ण करनी होगी। इस संबंध में नियुक्ति के समय आवेदक को **परिशिष्ट–तीन** में निर्धारित प्रारूप में वचन–पत्र भरकर देना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उक्त अवधि को नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति से अतिरिक्त एक–एक वर्ष करके इसे दो बार बढ़ाया जा सकेगा। यदि 4 वर्ष में भी वह कर्मचारी कौशल परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता तो उसे वेतनवृद्धि मिलना तभी शुरू होगी जब वह उक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। संबंधित कर्मचारी की आयु 45 वर्ष होने पर उसे कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जायेगी एवं 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने के दिनांक से उनकी नियुक्ति नियमित की जायेगी।

(4) तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त विधवा/विधुर/आश्रित पुत्र/*आश्रित पुत्री/आश्रित विधवा पुत्री/आश्रित तलाकशुदा पुत्री/**विधवा पुत्रवधु को विभागीय भरती नियम में शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त निर्धारित अन्य तकनीकी अर्हता 02 वर्ष की अवधि में प्राप्त करना आवश्यक होगी, परन्तु 45 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर उन्हें इससे छूट प्राप्त होगी।

परन्तु, यदि नियमों में तृतीय श्रेणी के अनुकम्पा नियुक्ति के किसी अन्य पद के लिए किसी प्रकार के तकनीकी ज्ञान/प्रशिक्षण आदि को प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो उक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्त व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान/प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराने एवं आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था विभागीय तौर पर की जायेगी। यह व्यवस्था उन पदों के लिए लागू नहीं होगी, जिनमें नियुक्ति हेतु किसी विधिक प्रावधान द्वारा कोई अर्हता निर्धारित हो।

11. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट/शिथिलीकरण :–

(1) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा, विधुर, आश्रित विधवा पुत्री एवं आश्रित तलाक शुदा पुत्री तथा विधवा पुत्रवधु*** के मामले में विभागीय भरती नियम में पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा संबंधी प्रावधान पूर्णतः शिथिल रहेंगे।

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 10(4) में उल्लेखित शब्द "आश्रित अविवाहित पुत्री" के स्थान पर शब्द "आश्रित पुत्री" प्रतिस्थापित किया गया।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 10(4) में उल्लेखित शब्द "आश्रित तलाकशुदा पुत्री" के पश्चात चिन्ह एवं शब्द "/विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।

*** परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 11(1) में उल्लेखित शब्द "आश्रित विधवा पुत्री एवं आश्रित तलाकशुदा पुत्री" के पश्चात शब्द "तथा विधवा पुत्रवधु" जोड़ा गया।

क्रमशः 5

(2) आश्रित पुत्र/पुत्री* की अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें मिलने वाली अन्य प्रकार की छूट को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. नक्सली हिंसा में मृत अविवाहित शासकीय सेवक के मामलों में अनुकम्पा नियुक्तिः—

(1) नक्सली हिंसा में मृत अविवाहित शासकीय सेवक के भाई/बहन जो अविवाहित है, उन्हें शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, **परन्तु मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है, तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पातत्रा नहीं होगी।

(2) नक्सली हिंसा में मृत शासकीय सेवक (चाहे पुलिस विभाग के हो अथवा अन्य विभाग) के आश्रित परिवारजन की अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत की सीमा शिथिल रहेगी अर्थात् 10 प्रतिशत की सीमा की शर्त लागू नहीं रहेगी।

13. नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मियों के मामले में अनुकम्पा नियुक्ति :—

(1) नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मी के परिवार में अन्य शासकीय सेवक के होते हुए भी, परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी तृतीय श्रेणी के पद पर भरती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पूर्ति होने पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(2) नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस कर्मी के परिवार के किसी भी सदस्य को चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जायेगी।

(3) नक्सली हिंसा में शहीद सहायक उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पुलिस कर्मियों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी।

***__स्पष्टीकरणः—__ विकल्प के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी का आशय यह है कि— नक्सली हिंसा में शहीद सहायक उप निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पुलिस कर्मियों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी।

(4) यदि शहीद पुलिस कर्मी "अविवाहित" अथवा "विधुर" है और उसके कोई पुत्र/पुत्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शहीद पुलिस कर्मी के माता—पिता द्वारा प्राधिकृत अपने पुत्र/पुत्री को आरक्षक पद की पात्रतानुसार उपयुक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 11(2) में उल्लेखित शब्द "अविवाहित पुत्री" में से शब्द "अविवाहित" को विलोपित किया गया।

** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 29.08.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 12(1) में शब्द "बशर्ते उनके परिवार में और कोई कमाने वाला सदस्य न हो" विलोपित कर, उसके स्थान पर परंतुक प्रतिस्थापित की गई।

*** परिपत्र क्रमांक एफ 7—1/2012/1—3, दिनांक 01.12.2023 द्वारा निर्देश क्रमांक 13(3) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया।

क्रमशः 6

14. **असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद हुए प्रथम श्रेणी अधिकारियों के संबंध में:–**

राज्य शासन के अधीन कार्यरत रहते हुए, देशहित में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए शहीद होने वाले प्रथम श्रेणी अधिकारियों के परिवार के आश्रित सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, द्वितीय श्रेणी के सीधी भरती के पद पर भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रशासकीय विभाग द्वारा उनके विभाग में स्वीकृत द्वितीय श्रेणी के सीधी भरती के रिक्त पद को अनुकम्पा नियुक्ति के पद के रूप में चिन्हित किया जाएगा एवं उक्त पद को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर करने हेतु आयोग की सहमति प्राप्त कर पद को अनुकम्पा नियुक्ति का पद घोषित करना होगा। प्रशासकीय विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु द्वितीय श्रेणी का रिक्त पद उपलब्ध न होने की दशा में अन्य विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति देने हेतु विचार किया जाएगा।

15. **अनुकम्पा नियुक्ति की प्रकिया :–**

(1) दिवंगत शासकीय सेवक के कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी जानकारी एवं निर्धारित आवेदन–पत्र का प्रारूप (परिशिष्ट–एक) **एक माह की अवधि में** उपलब्ध कराया जाएगा तथा ऐसी जानकारी कार्यालय के अभिलेख में सुरक्षित रखी जायेगी।

(2) अनुकम्पा नियुक्ति एवं आवेदन के प्रारूप संबंधी जानकारी आश्रित परिवार को प्राप्त होने के उपरान्त पात्र वयस्क सदस्य द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र शीघ्रातिशीघ्र अधिकतम **तीन माह के भीतर** उस कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा, जिस कार्यालय में दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। कार्यालय द्वारा आवेदन–पत्र की पावती आवेदक को दी जाएगी।

(3) आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्रता का परीक्षण कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक की आयु की गणना आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के आधार पर की जाएगी।

(4) परिवार में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कोई पात्र वयस्क सदस्य न होने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा तदाशय की सूचना विभागाध्यक्ष कार्यालय को अविलंब दी जाएगी एवं तद्संबंधी पत्र की प्रतिलिपि परिवार के मुखिया को दी जायेगी।

(5) आवेदन–पत्र में अपूर्ण जानकारी होने अथवा उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न न होने के आधार पर कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इंकार नहीं किया जायेगा, एवं आवेदक को पावती दी जाएगी। कार्यालय द्वारा आवेदन–पत्र का नियमानुसार परीक्षण किया जाकर उसमें पाई गई कमियों से आवेदक को पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित किया जाकर कमियों की पूर्ति करने हेतु समय–सीमा दी जाएगी। निर्धारित समय–सीमा में आवेदक से जानकारी प्राप्त न होने पर उसे पुनः रजिस्टर्ड डाक से स्मरण कराया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा कमियों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त समय की मॉग की जाए तो उसे अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

(6) आवेदक यदि नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र हो तो उसे यथाशीघ्र अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित परिशिष्ट–चार में प्रमाणीकरण किया जाकर अभिलेख संधारित किया जाएगा ।

क्रमशः 7

(7) अनुकम्पा नियुक्ति यथासम्भव उस विभाग या कार्यालय में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था। कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने पर अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन–पत्र नस्तीबद्ध नहीं किया जाएगा, अपितु उसे प्रकियाधीन माना जाकर, आगामी कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

(8) यदि दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा पत्नी द्वारा स्वयं की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु असहमति व्यक्त करते हुए उसके स्थान पर परिवार के अवयस्क सदस्य को वयस्क होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की मांग की जाए, तो नियोक्ता द्वारा इस संबंध में विधवा पत्नी से अंतरिम आवेदन–पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा अवयस्क सदस्य के वयस्क होने पर उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्रवाही की जाएगी।

(9) विभागाध्यक्ष कार्यालय को अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन–पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा उसके कार्यालय अथवा अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध होने के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाएगी तथा आवेदक को अवगत कराया जायेगा। आवेदक द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु असहमति व्यक्त किए जाने की दशा में, परिस्थितियों पर समयक रूप से विचार किया जाकर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(10) विभागाध्यक्ष अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध न होने की स्थिति में, विभागाध्यक्ष तदाशय के प्रमाण–पत्र के साथ अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन–पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को अनुकम्पा नियुक्ति देने की आगामी कार्रवाही हेतु अग्रेषित किया जायगा एवं उसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

*(11) कलेक्टर कार्यालय में आवेदन–पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी। जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन–पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी।

संभागीय आयुक्त, अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हों, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर/संभागायुक्तों द्वारा किया जायेगा।

***(स्पष्टीकरण/निर्देश–** जिला कलेक्टर, अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय–समय पर प्रेषित करेंगे तथा अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। यह स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है।)

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3, दिनांक 07.03.2024 द्वारा निर्देश क्रमांक 15(11) के स्थान पर नया बिन्दु प्रतिस्थापित किया गया एवं आवश्यक निर्देश दिए गए।

क्रमशः 8

(12) अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे हेतु ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय / जिला कलेक्टर कार्यालय में संधारित की जाएगी। ऐसी सूची दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु की तिथि के क्रमानुसार होगी। जो शासकीय सेवक पहले दिवंगत हुआ हो, उसके आश्रित को पहले अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

(13) अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश जारी करने के पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा आवेदक से **परिशिष्ट–दो** में निर्धारित प्रारूप में, दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण–पोषण करने के संबंध में घोषणा–पत्र भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। घोषणा–पत्र का उल्लंघन करने के संबंध में परिवार के आश्रित सदस्य / सदस्यों द्वारा की गई शिकायत प्रमाणित पाई जाने पर अनुकम्पा नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी ।

16. **अनुकम्पा नियुक्ति के लिए समय–सीमाः**– सामान्य परिस्थितियों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 05 वर्ष होगी लेकिन, इसके लिए औचित्य एवं कारण दर्शाते हुए प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

17. **दैनिक वेतन भोगी / सीधी भरती से संविदा पर नियुक्त दिवंगत कर्मचारी के संबंध में:**–
दैनिक वेतन भोगी / सीधी भरती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

परन्तु, दिवंगत दैनिक वेतन भोगी / सीधी भरती से संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारियों को छोड़कर) की निरतंर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, तो उसके आश्रित परिवार के नामांकित सदस्य को एकमुश्त राशि एक लाख रूपये **"अनुकम्पा अनुदान"** के रूप में दी जायेगी।

18. **अनुकम्पा नियुक्ति हेतु परिवार की अन्य स्त्रोतो से आय के संबंध में सीमाः**–
अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार की अन्य स्त्रोतों से वार्षिक आय के संबंध में कोई सीमा बंधन नहीं होगा।

19. **अनुकम्पा नियुक्ति आदेश में शर्तो का उल्लेख करनाः**– अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमानुसार पात्र उम्मीद्वार के नियुक्ति आदेश में आवश्यक सभी शर्तो जैसे स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र, पुलिस वेरीफिकेशन आदि का उल्लेख किया जाए।

20. **अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होने पर उपबंध** :–

(1) आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात उसके द्वारा किसी अन्य पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने अथवा पद परिवर्तन करने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

(2) आश्रित परिवार के किसी सदस्य को दी गई अनुकम्पा नियुक्ति, परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित नहीं होगी।

(3) विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति उपरान्त पुनर्विवाह की छूट रहेगी।

*(4) परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति के पूर्व यह शपथ–पत्र देना होगा कि अनुकंपा नियुक्ति के पश्चात यदि दिवंगत शासकीय सेवक के विरूद्ध वैध रूप से वसूली की जाने वाली राशि शेष रहती है, तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी उक्त सदस्य की होगी।

---

* परिपत्र क्रमांक एफ 7–1 / 2012 / 1–3, दिनांक 07.06.2016 द्वारा निर्देश क्रमांक 20 में नया उप बिन्दु (4) जोड़ा गया।

क्रमशः 9

21. **निर्वचन संबंधी कठिनाईयों का निराकरणः—** उक्त निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होने पर उसे राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर सामान्य प्रशासन विभाग का विनिश्चय अन्तिम एवं मान्य होगा ।

संलग्नः— परिशिष्ट—एक, दो, तीन एवं चार ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

सही / —
(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 14 / 06 / 2013

पृ. क्रमांक एफ 7—1 / 2012 / 1—3

प्रतिलिपि :—

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, जीरो पाईंट, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।
6. निज सचिव / निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण / मान. राज्य मंत्रीगण / संसदीय सचिव छत्तीसगढ़, नया रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
8. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग / सचिव राज्य मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / समस्त अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर।
14. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
15. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर।
16. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर।
17. अवर सचिव, कर्मचारी कल्याण शाखा (कक्ष—9) सामान्य प्रशासन विभाग को मान्यता प्राप्त संघो को प्रति वितरित करने हेतु अतिरिक्त 1 प्रति सहित प्रेषित।
18. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव। कृपया इसे साधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 500 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें ।
19. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय, रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

सही / —
(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 10

परिशिष्ट–एक

अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन– पत्र

अ. दिवंगत शासकीय सेवक के संबंध में जानकारीः–

(1) शासकीय सेवक का पूर्ण नाम ....

(2) पदनाम ....

(3) श्रेणी ....

(4) जन्मतिथि ....

(5) कार्यालय का नाम जहां निधन पूर्व शासकीय सेवक पदस्थ था। ....

(6) शासकीय सेवक की निधन की तिथि ....

(7) शासकीय सेवक द्वारा की गई कुल सेवा अवधि ....

ब. आवेदक के संबंध में जानकारीः–

(1) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम ....

(2) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध ....

(3) स्थायी पता ....

(4) वर्तमान पता ....

(5) जन्मतिथि अंको में ....
शब्दों में ....

(6) आयु ....

(7) धर्म ....

(8) जाति (अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हो तो स्पष्ट रूप से दर्शाये) ....

(9) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण ....
....
....
....

क्रमशः 11

(10) अन्य अर्हताओं का विवरण ....

....

....

....

स. दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरणः–

स. क.	पूर्ण नाम	आयु	दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध	यदि सेवारत हो तो उसका विवरण, सेवारत है शासकीय / अर्द्ध शासकीय या निजी सेवा	टिप्पणी
1.					
2.					
3.					
4.					

क्रमशः 12

परिशिष्ट–दो

घोषणा–पत्र

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी नियुक्ति के पूर्व या बाद में असत्य/गलत पायी जाती है अथवा नियुक्ति के पश्चात अपात्रता पाई जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी और इस संबंध में प्रावधानित विविध एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

2. मै यह भी वचन देता हूँ/देती हूँ कि मै स्व. श्री .... (दिवंगत शासकीय सेवक का नाम) के आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करूंगा/करूंगी। बाद में, किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाये कि मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है तो मेरी अनुकम्पा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :–.................................

दिनांक :–..............................

आवेदक के हस्ताक्षर,

श्री/श्रीमती...द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही एवं तथ्यपरक है।

दो स्थायी शासकीय सेवक का प्रमाणीकरण

क.	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			

क्रमशः 13

परिशिष्ट–तीन

वचन –पत्र

मैं ....शपथपूर्वक यह वचन देता/देती हूँ कि मेरे पिता/माता श्री/श्रीमती ....की शासकीय सेवा में रहते हुए दिनांक ....को मृत्यु होने के फलस्वरूप यदि सहायक ग्रेड–3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है तो ऐसी दशा में मैं नियुक्ति के दिनांक से दो वर्ष के भीतर नियमों में निर्धारित कम्प्यूटर पर हिन्दी टायपिंग के संबंध में विभागीय कौशल परीक्षा उत्तीर्ण कर लूंगा/लूंगी। नीचे दिए गए गवाहों के समक्ष मैं यह भी वचन प्रस्तुत करता/करती हूँ कि यदि निर्धारित दो वर्ष की अवधि में मैने कम्प्यूटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा शासन द्वारा निर्धारित संस्था से उत्तीर्ण नहीं की तो मेरी सेवाएं शासन द्वारा बिना शर्त समाप्त की जा सकेगी, इसका मुझे पूर्ण ज्ञान है।

आवेदक के हस्ताक्षर..

नाम ....

दिनांक ....

साक्षी–

स.क्र.	गवाह का नाम	पदनाम व कार्यालय का नाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			

परिशिष्ट–चार

कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि:–

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए संपूर्ण तथ्यों/विवरण की सूक्ष्मता से जांच कर ली गयी है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक को जिस पद पर नियुक्ति दी जाना है उस संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 10 प्रतिशत (दस प्रतिशत) पदों में उनके वर्ग के लिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य) का रिक्त पद उपलब्ध है।

3. मैं पूर्ण जांचोपरात इस बात से संतुष्ट हूँ कि आवेदक/आवेदिका को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता आती है, साथ ही दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना उचित होगा।

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(जहॉ दिवंगत शासकीय सेवक कार्यरत था)
नाम..

कार्यालय का पता..

....

टीप:– आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वतः द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न की जावें:–

1. दिवंगत शासकीय सेवक का मृत्यु प्रमाण–पत्र।
2. शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं की अंक सूची/प्रमाण–पत्र।
3. जन्मतिथि का प्रमाण–पत्र।
4. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी/मूल निवासी होने का प्रमाण–पत्र।
5. यदि आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो तद्विषयक प्रमाण–पत्र।

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 10–1/2010/1–3 रायपुर, दिनांक 04/05/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़,
समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय :– विलम्ब से टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण सहायक ग्रेड–3 को समयमान वेतन का लाभ दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क. 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28 अप्रैल 2008

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए समयमान वेतन योजना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से प्रभावशील की गई है जिसके अनुसार 'अ' तथा 'ब' वर्ग के सिविल सेवाओं के सदस्यो को उच्चतर वेतनमान का लाभ सेवा में नियुक्ति पश्चात् कमशः 8 वर्ष एवं 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर तथा 'स' वर्ग की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में नियुक्ति के 10 वर्ष एव 20 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

2/ शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसे सहायक ग्रेड–3, जिन्होंने हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा विलम्ब से उत्तीर्ण की है, को समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ देने हेतु सेवा की गणना नियुक्ति दिनाक से की जाना है अथवा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के दिनाक से। शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे सहायक ग्रेड–3, जिन्होंने नियुक्ति उपरांत विलम्ब से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा जिन्हे नियमानुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की है, को केवल

कमश 2

Scanned with OKEN Scanner

सहायक
लिपि

समयमान वेतन स्वीकृत करने की दृष्टि से उनकी सेवा की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाये। इस प्रकार सेवा की गणना तथा यह लाभ अन्य किसी प्रयोजन (वरिष्ठता एवं पदोन्नति) आदि के लिये मान्य नहीं होगा।

3/ इस परिपत्र के संबंध में वित्त विभाग के यू.ओ. कमांक 170/वि/नि./चार/2010 दिनांक 24.04.2010 द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ 10-1/2010/1-3 रायपुर, दिनांक 04/05/2010

01. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
02. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर,
04. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर,
05. सचिव, लोक सेवा आयोग/लोक आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर,
06. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
07. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय बिलासपुर,
08. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर,
09. विशेष सहायक/निज सहायक/समस्त मान. मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़, रायपुर,
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
11. समस्त कोषालय अधिकारी वित्त/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़,
12. NIC मंत्रालय की ओर वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु प्रेषित,
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण शाखा कक्ष-9, को मान्यता प्राप्त संघों को प्रति वितरित करने हेतु प्रेषित,
14. समस्त अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with OKEN Scanner